अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– अराजपत्रित/भर्ती प्रकोष्ठ/ईफाईल 21953/2024/ 229 दिनांकः 9/4/24

1. प्रबंध निदेशक, आर.एम.एस.सी.एल. निदेशक, जनस्वा0/आरसीएच/आई.ई.सी./एड्स/आर.आर.सी/मोबाईल सर्जिकल यूनिट/SIHFW
2. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कॉलेज/झालावाड़ हॉस्पिटल एण्ड मेडिकल कॉलेज सोसायटी/राजकीय डेन्टल कॉलेज/राजमेस के मेडिकल कॉलेज/आर.यू.एच.एस. मेडिकल कॉलेज।
3. परियोजना निदेशक, एनएचएम/एड्स।
4. अधिकृत अधिकारी, सहकारिता विभाग।
5. समस्त अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह।
6. राज्य क्षय रोग नियंत्रण अधिकारी।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
8. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
9. समस्त, जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी।
10. समस्त उप निदेशक, राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला।
11. मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, राजस्थान, जयपुर।

विषयः– नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संवर्ग की प्रक्रियाधीन भर्ती (वर्ष–2023) के सन्दर्भ में जारी अनुभव प्रमाण पत्रों के पुर्नसत्यापन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रशासनिक विभाग के आदेश दिनांक 22.11.2023 (प्रति संलग्न) के द्वारा नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संवर्ग की भर्ती (वर्ष–2023) हेतु विभिन्न आवेदकों को जारी किये गये अनुभव प्रमाण पत्रों के पुर्नसत्यापन किये जाने हेतु जारी दिशा–निर्देशों के क्रम में निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर ने विभिन्न पत्रों द्वारा आपसे आवेदकों के अनुभव प्रमाण पत्रों का पुर्नसत्यापन किये जाने के संबंध में आवश्यक समस्त दस्तावेज यथा उपस्थिति, वेतन, अनुबंध, पद स्वीकृति एवं अन्य सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथियों को स्वयं व्यक्तिशः अथवा उत्तरदायी अधिकारी को शिफू में उपस्थित होने हेतु अनुरोध किया गया था।

अधोहस्ताक्षरकर्ता के संज्ञान में लाया गया है कि उक्त कार्य हेतु शिफू में उपस्थित होने वाले कार्मिक निर्धारित समय–सारणी के अनुसार उपस्थित नहीं हो रहें है व ना ही इससे संबंधित वांछित पूर्ण रिकॉर्ड के साथ उपस्थित हो रहें है तथा पूछे जाने पर उनके द्वारा कोई संतोषजनक प्रतिउत्तर भी नहीं दिया जा रहा है जिससे अनुभव प्रमाण पत्रों के पुर्नसत्यापन संबंधी कार्य में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है।

प्रक्रियाधीन भर्तियों के संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया द्वारा समीक्षा बैठक में उपरोक्त स्थिति पर नाराजगी व्यक्त की गई हैं।

अतः भर्ती संबंधी महत्वपूर्ण कार्य हेतु आप स्वयं व्यक्तिशः अथवा अनुभव प्रमाण पत्र पुर्नसत्यापन कार्य हेतु विज्ञ कार्मिक को समस्त वांछित दस्तावेजों के साथ निर्धारित समय–सारणी अनुसार शिफू में उपस्थित होने का श्रम करावें।

उपरोक्त की पालना नहीं होने की स्थिति में संबधित नियंत्रण अधिकारी के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी जिसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– अराजपत्रित/भर्ती प्रकोष्ठ/ईफाईल 21953/2024/ 229 दिनांकः 9/4/24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–1/2/3) विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर।
5. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
6. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
7. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को सभी संबंधित अधिकारियों को ई–मेल पर प्रेषित करते हुए पत्र को विभागीय वैबसाईट पर तत्काल अपलोड करावें।

RajKaj Ref
6586121

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation : Director
Date :09-04-2024 07:12:07